



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
 Dr. Rajendra Prasad Mishra
 कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
 फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 61/13/स्कूल बोर्ड/सा.वि./10/185

तिथि: 29.03.2016

अधिसूचना

पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 (संशोधित) के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार साहित्य विद्यापीठ के स्कूल-बोर्ड (School Board) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :

1.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	: संकायाध्यक्ष एवं प्रोफेसर, साहित्य विद्यापीठ	: अध्यक्ष
2	प्रो. सूरज पालीवाल	: प्रोफेसर, साहित्य विद्यापीठ एवं अध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: सदस्य
3	प्रो. सुरेश शर्मा	: प्रोफेसर, साहित्य विद्यापीठ एवं अध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग	: सदस्य
4	डॉ. प्रीति सागर	: एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: सदस्य
5	डॉ. बीरपाल सिंह यादव	: सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग	: सदस्य
6	डॉ. सतीश पावडे	: सहायक प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग	: सदस्य
7	डॉ. हिमांशु शेखर	: सहायक प्रोफेसर, उर्दू विभाग	: सदस्य
8	श्री लेखराम दन्नाना	: सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग	: सदस्य
9	सुश्री मैत्रेयी	: सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग	: सदस्य
10	डॉ. शैलेश मरजी कदम	: प्रभारी विभागाध्यक्ष, मराठी विभाग	: सदस्य
11	डॉ. कमलेश कुमार यादव	: भूतपूर्व विद्यार्थी	: सदस्य
12	प्रो. आर. एस. सर्राजु	: अध्यक्ष, हिंदी विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद	बाह्य विशेषज्ञ
13	प्रो. आनंदप्रकाश त्रिपाठी	: अध्यक्ष, हिंदी विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर	

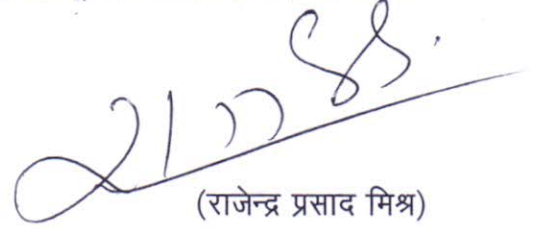
पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 61/13/स्कू.बो./सा.वि./10/721, दिनांक 29. 10.2015 के अनुसार क्रम संख्या 04 और 05 के अंतर्गत डॉ. प्रीति सागर, डॉ. बीरपाल सिंह यादव तथा डॉ. सतीश पावडे का कार्यकाल (28.10.2017 तक) तथा डॉ. हिमांशु शेखर, श्री लेखराम दन्नाना तथा सुश्री मैत्रेयी का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने से 02 वर्ष तक के लिए होगा। क्रम संख्या 06 के सदस्य डॉ. कमलेश कुमार यादव का कार्यकाल पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्र.: 61/13/स्कू.बो./सा.वि./10/306, दिनांक 22.04.2015 के अनुसार 02 वर्ष (21.04.2017 तक) तथा क्रम संख्या 07 के सदस्यों प्रो. आर. एस. सर्राजु तथा प्रो. आनंद प्रकाश त्रिपाठी का कार्यकाल पूर्व में जारी का.आ. क्र.: 61/13/स्कू.बो./सा.वि./10/645, दि. 01.12.2014 के अनुसार 02 वर्ष (30.11.2016 तक) होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

प्रति: सभी संबंधित को।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ को संबंधित को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति


 (राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)